

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना  
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

क	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर
	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित	धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना के अन्तर्गत राजाखेडा उपखण्ड क्षेत्र में विभिन्न गाँवों में डिग्गीयाँ बनाई जानी है तथा बसईंकारे हनुमानपुरा गाँव के क्षेत्र में एक वेलेन्सिंग रिजरवायर का निर्माण कराया जाना है तथा सर्विस रोड भी बनाये जाने हैं तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में योजना के अन्तर्गत 203;842 हे० भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है
ख	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत 1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयाँ भी दें	1 परामर्श 2 सर्वेक्षण 3; सार्वजनिक सुनवाई
ग	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा	अधिनियम की धारा 2-1 के अन्तर्गत लागू नहीं
घ	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन - योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगे	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
ड	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रप्रीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकत और शून्य हो जायेगी	हाँ
च	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी	कार्यालय अधिशायी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर में उपलब्ध

सहायक अभियन्ता

जल संसाधन उपखण्ड चतुर्थ राजाखेडा

अधिशायी अभियन्ता

जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर

अधीक्षण अभियन्ता

जल संसाधन वृत्त भरतापुर

जल हस्ताक्षरित

जि.स. वास्ते

उप वास्ते सचिव अधीक्षण अभियन्ता

नं व.स.वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन

राजस्थान, कयपर